न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या :16/460

रामभरोस आत्मज नाथूलाल जाति धाकड निवासी जाखडोंद तहसील दीगोद जिला कोटा।

——अपीलान्ट

बनाम

1. विनोद आत्मज रामभरोस ।
2. नीरज आत्मज रामभरोस ।
3. ममता पुत्री रामभरोस ।
4. मैना पुत्री रामभरोस ।
5. कविता पुत्री रामभरोस ।
6. कस्तूरी बाई पत्नी रामभरोस जाति धाकड निवासीगण जाखडोंद तहसील दीगोद जिला कोटा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बलराम शर्मा,अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मोहम्मद साबीर खान, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 23.01.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88ख 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी कुल 03 किता की 2.12 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 का बराबर— बराबर यानि 1/7 —1/7 हिस्सा है और दोनों उक्त भूमि पर शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं ।

3. अतः वादी एवं प्रतिवादी कम 1 को बराबर—बराबर यानि 1/7 —1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर पक्षकारान को उनके हिस्से अनुसार पृथक—पृथक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द—बुर्द, रहन, बेचान व अन्तरण नहीं करे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत किशारपुरा में भेजते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2016 के लिए रखा था । अपीलान्ट दिनांक 24.05.2016 को कैम्प में उपस्थित हुआ जिसके खाली फर्द आदेश संचिका पर अपीलान्ट के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वादीगण उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 14.09.2016 को हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और उनकी सहमति के बिना लोक अदालत की भावना के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016 निरस्त फरमया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद वादग्रस्त आराजी के विधिवत विभाजन से सम्बन्धित है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान उपस्थित रहे हैं और उनकी उपस्थिति में ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और अपनी सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2016निरस्त किया जाता है ।प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा